8/10/14

पत्रावली प्रार्थीया मालीदेवी जरिये वकील
श्री आनन्द आवेदन मिसल तलबी पेश होने
पर प्रस्तुत हुई। प्रार्थीया/वकील ने आवेदन
प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पक्षकारान
के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है इसलिये
वाद चलाना नहीं चाहते है। वाद बिना
खर्चा (खर्च) वकील की पहचान वकील
वकील श्री आनन्द [illegible] की गई।
अतः वकील के निवेदन पर वाद वापिस
लिया किये जाने के आदेश किये जाते है।
मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

आ. नि. मालीदेवी

पहचानकर्ता

Anand
8.10.14

आनन्द राठ. एडवोकेट